RESERVE BANK OF INDIA
(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)
CENTRAL OFFICE
MUMBAI

Notification No. FEMA 206 / 2010-RB. June 1, 2010

Foreign Exchange Management (Guarantees)
(Amendment) Regulations, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (3) of Section 6, and sub section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA 8/2000-RB dated May 3, 2000), namely:-

1. **Short title and commencement**

    (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2010.

    (b) They shall come into force from the dates specified in these regulations.

2. **Amendment of the Regulations :**

    In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA 8/2000-RB dated May 3, 2000), (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), -

3. **Amendment of Regulation 5**

    In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/2000-RB) dated May 3, 2000, in regulation 5, after

clause (d), the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from April 20, 2009, namely,-

"(e) a bank which is an authorised dealer may, subject to the directions issued by the Reserve Bank in this behalf, permit a person resident in India to issue corporate guarantee in favour of an overseas lessor for financing imports through operating lease effected in conformity with the Foreign Trade Policy in force and under the provisions of the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000 framed by Government of India vide Notification No G.S.R. 381 (E) dated May 3, 2000 and the directions issued by Reserve Bank under Foreign Exchange Management Act, 1999 from time to time.

(Salim Gangadharan)
Chief General Manager-in-charge

Foot Note:

(i) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. No.391 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended vide :

(i) No. G.S.R.575 (E) dated 19-8-2002
(ii) No. G.S.R.745 (E) dated 16-11-2004
(iii) No. G.S.R.61 (E) dated 9-2-2005
(iv) No. G.S.R.196 (E) dated 14-3-2007
(v) No. G.S.R.300 (E) dated 01/05/2009
(vi) No. G.S.R.298 (E) dated 01/05/2009

Published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 27.07.2010- G.S.R.No.634(E)

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

अधिसूचना सं.फेमा 206/2010-आरबी June 1, 2010

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी)
(संशोधन) विनियमावली, 2010

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (ञ) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.8/आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**
(क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2010 कहलायेंगे ।
(ख) ये विनियमों में विनिर्दिष्ट तारीखों से लागू समझे जाएंगे ।

2.**विनियमावली में संशोधन:**

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.8/आरबी-2000)(अब इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में, विनियम 5 में, खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड

अंत:स्थापित किया जाएगा और 20 अप्रैल 2009 से अंत:स्थापित किया गया है ऐसा समझा जाएगा, अर्थात्-

"(ङ) कोई बैंक जो प्राधिकृत व्यापारी है, इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों की शर्त पर, भारत में निवासी किसी व्यक्ति को प्रचलित विदेश व्यापार नीति के अनुसार और विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.381(ई) के प्रावधानों के तहत लागू लीज परिचालन के जरिये आयातों के वित्तीयन के लिए विदेशी पट्टाकर्ता के पक्ष में कार्पोरेट गारंटी जारी करने के लिए अनुमति दे सकता है ।"

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

1) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विमियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2) मूल विनियमावली 5 मई 2000 को जीएस.आर.सं. 391 (ई) के जरिये सरकारी राजपत्र भाग ।।, ‰¸¿” 3, उप‰¸¿” (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

i) 19-8-2002 के जी.एस.आर.सं.575(ई)
ii)16-11-2004 के जी.एस.आर.सं.745(ई)
iii) 9-2-2005 के जी.एस.आर.सं.61(ई)
iv) 14-3-2007 के जी.एस.आर.सं.196 (ई)
v)1-05-2009 के जी.एस.आर.सं.300 (ई)
vi)1-05-2009 के जी.एस.आर.सं.298 (ई)

]¸ú. ‡¬¸. ,¸£. ¬¸¿. 634 (,) /]¸»›¸ 1, 2010

Reserve Bank of India
Foreign Exchange Department
Central Office
Mumbai- 400 001

Notification No. FEMA 210 /RB-2010 dated July 19, 2010

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2010

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000) namely:-

1. **Short Title and Commencement**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2010.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of the Regulations**

In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000), for Regulation 5A, the following shall be substituted, namely:--

“**5A. Permission to a person resident in India to enter into currency futures or currency options**

A person resident in India may enter into currency futures or currency options on a stock exchange recognized under section 4 of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956, to hedge an exposure to risk or otherwise, subject to such terms and conditions as may be set forth in the directions issued by the Reserve Bank of India from time to time.”

(Salim Gangadharan)
Chief General Manager-in-Charge

Footnote:-

1. The principal regulations were published in the Official Gazette vide GSR No.411(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide -

GSR No. 756(E) dt. 28.9.2000,
GSR No.264(E) dt. 09.4.2002,
GSR No.579(E) dt. 19.8.2002,
GSR No.222(E) dt. 18.3.2003,
GSR No.532(E) dt. 09.7.2003,
GSR No.880(E) dt. 11.11.2003,
GSR No. 881(E) dt. 11.11.2003,
GSR No. 750(E) dt. 28.12.2005,
GSR No.222(E) dt. 19.4.2006,
GSR No. 223(E) dt. 19.4.2006,
GSR No. 760(E) dt. 07.12.2007,
GSR.No.577(E) dt. 05.08.2008,
GSR No. 440(E) dt. 23.06.2009 and
GSR.No. 895(E) dt. 14.12.2009

Published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 27.07.2010- G.S.R.No.635 (E)

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001.

अधिसूचना सं.फेमा. 210 /आरबी-2010 **दिनांक** :19 **जुलाई, 2010**

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियमावली, 2010

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/ आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियम 2010 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 25/आरबी-2000) में विनियम 5 अ के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्

"5 अ. भारत में निवास करने वाले व्यक्ति को मुद्रा वायदे (करेंसी फ्यूचर) अथवा मुद्रा ऑप्शन्स करने के लिए अनुमति -

भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों में यथा घोषित शर्तों के अधीन ऋण जोखिम अथवा अन्यथा से बचाव (हेज़) के लिए मुद्रा वायदे (करेंसी फ्यूचर) अथवा मुद्रा ऑप्शन्स में लेन-देन कर सकता है।"

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

1. मूल विनियमावली 08 मई, 2000 के जीएसआर सं. 411(,) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के जरिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् उसे निम्नानुसार संशोधित किया गया –

जीएसआर सं. 756(,) दिनांक 28.9.2000,
जीएसआर सं. 264(,) दिनांक 09.4.2002,
जीएसआर सं. 579(,) दिनांक 19.8.2002,
जीएसआर सं. 222(,) दिनांक 18.3.2003,
जीएसआर सं. 532(,) दिनांक 09.7.2003,
जीएसआर सं. 880(,) दिनांक 11.11.2003
जीएसआर सं. 881(,) दिनांक 11.11.2003,
जीएसआर सं. 750(,) दिनांक 28.12.2005,
जीएसआर सं. 222 (,) दिनांक 19.4.2006,
जीएसआर सं. 223 (,) दिनांक 19.4.2006,
जीएसआर सं. 760 (,) दिनांक 07.12.2007,
जीएसआर सं. 577 (,) दिनांक 05.08.2008,
जीएसआर सं. 440 (,) दिनांक 23.06.2009 तथा
जीएसआर सं. 895 (,) दिनांक 14.12.2009

],ú. ‡¬,. ,,£. ¬,¿. 635 (,) /],º¥,,ƒÄ 19, 2010